37 पार्वती (पुत्री बलवंत पुत्र रामचन्द्र) पत्नी शिवकुमार आयु 35 वर्ष जाति छीम्पा निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

38 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री राजेश छीम्पा - अधिवक्ता वादीगण

2 एक पक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 1 ता 37

3 राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 38

-:निर्णय:-

दिनांक 16.09.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 एमएमके खाता सं. 17/10 जमाबंदी संवत 2077-80 में वर्णित कुल 4.276 हैक्टैयर बारानी व नहरी भूमि जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण के अलावा राजस्व अभिलेख में रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के नाम दर्ज है। रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम काफी वर्ष पूर्व ही फौत हो चुके हैं जिनके जायज व कानूनी वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 है।

यह कि गांव धोलीपाल रोही के खाता संख्या-182 में कुल 1848 हिस्सा अर्थात 92 बीघा 08 बिस्वा भूमि थी जिसमें खसरा नम्बर-200 में 74 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर-469 मिन 1 में 12 बीघा व खसरा नम्बर 469 मिन 2 में 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी खतौनी मौजा धेलीपाल सम्वत् 2001 खाता संख्या-182 संलग्न वाद पत्र है। भाखड़ा उपनिवेशन विभाग द्वारा चकबंदी करने के दौरान उक्त 1848 हिस्सा अर्थात 92 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 75 बीघा भूमि चक 18 एम.जे.डी. तहसील संगरिया में व 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि चक 14 एम.एम. के. तहसील संगरिया वर्तमान तहसील हनुमानगढ़ में पैमूद हुई। प्रमाणित प्रतिलिपी पर्चा खतौनी भाखड़ा उपनिवेशन विभाग चक 18 एम.जे.डी. तहसील संगरिया व प्रमाणित प्रतिलिपी पर्चा खतौनी भाखड़ा उपनिवेशन विभाग चक 14 एम.एम.के. तहसील संगरिया वर्तमान तहसील हनुमानगढ़ संलग्न वाद पत्र है।

यह कि पर्चा खतौनी चक 18 एम.जे.डी. व चक 14 एम.एम. के. में वर्णितानुसार कुल 1848 हिस्सा अर्थात 92 बीघा 18 बिस्वा भूमि में पूरणनाथ के नाम 524 हिस्सा अर्थात 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी जिसमें से पूरणनाथ के चक 14 एम.एम. के. में निम्नलिखित विवरण की भूमि कब्जा काश्त में थी। भूमि का विवरण निम्नलिखित अनुसार है-

चक 14 एम.एम.के. प.न. 107/199 (51) 2/0.013, 3/0.2400, 4/0.253, 0.253, 5/0.253 नहरी, 6/0.253 बारानी, 7/0.253 बारानी, 8/0.164 बारानी, 13/0.0890 बारानी, 14/0.253 बारानी, 15/0.253 बारानी, 16/0.253 बारानी, 17/0.240 बारानी, 18/0.0130 बारानी, 24/0.152 बारानी, 25/0.253 बारानी, प.न. 107/200 (52) कि.न. 4/0.076 बारानी, 5/0.253 बारानी, प.न. 108/199 (50) कि.न. 10/0.253 बारानी, 11/0.253 बारानी, 20/0.253 बारानी, 21/0.253 बारानी कुल तादादी 4.2760 हैक्टेयर जिसमें बारानी प्रथम 4.023 व नहरी .253 हैक्टेयर अर्थाना 16 बीघा 18 बिस्वा।

पूरणनाथ के नाम दर्ज कुल 524 हिस्सा अर्थात 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से चक 14 एम.एम.के. में 4.2760 हैक्टेयर अर्थात 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि कब्जा काश्त में थी शेष रही भूमि अन्य चक में पूरणनाथ के कब्जा काश्त में थी तथा चक 14 एम.एम.के. में

सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम व अन्य के नाम भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, लेकिन उनके कब्जा काश्त में अन्य चक में भूमि थी तथा पूरणनाथ के फौत हो जाने के पश्चात् उपरोक्त चकों में वर्णित भूमि उसके पुत्र मोटनाथ पुत्र पूरणनाथ के नाम दर्ज हुई। मोटनाथ पुत्र पूरणनाथ द्वारा चक 14 एम.एम.के. में वर्णित 4.2760 हैक्टेयर बारानी-1 व नहरी, अर्थात 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.01.1966 को हम वादीगण को विक्रय कर दी। हम वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीदशुदा प्रश्नगत कृषि भूमि चक 14 एम.एम. के. में उपरोक्त वर्णितानुसार 4.2760 हैक्टेयर बारानी-1 व नहरी अर्थात 16 बीघा 18 बिस्वा पर हम वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ में रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के कब्जा काश्त में कभी कोई कृषि भूमि नहीं रही है, लेकिन पूर्व में दर्ज अनुसार राजस्व अभिलेख में 0.304 हैक्टेयर अर्थात 1 बीघा 4 बिस्वा का अंकन चला आ रहा है। उक्त अंकन के कारण आगामी जमाबंदियों में भी रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के नाम उक्त अंकन यथावत् दर्ज रहा। रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम की सम्पूर्ण कृषि भूमि जो कि तहसील हनुमानगढ़ व तहसील संगरिया के चक 11 एल.एल.पी, चक 13 एम.एम.के., चक 18, एम.जे.डी., चक 19 एम.जे.डी. चक 9 डी.एल.पी., चक 14 एम.एम. के. व चक 15 एम.एम. के. तथा तहसील सादुलशहर के चक 13 के.एस.डी., चक 15 के.एस.डी. व चक 17 के.एस.डी. के सम्बंध में रामचन्द्र फूसाराम-सूरजाराम के वारिसान के मध्य वाद पत्र बअनवानी श्रीमती नारायणी आदि बनाम श्रीमति इन्द्रा आदि राजस्व वाद संख्या-219/2015 माननीय न्यायालय में ही प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 09.04.2018 को निर्णय व डिक्री हुआ था जिसमें रामचन्द्र, फूसाराम, सूरजारामके समस्त वारिसों के मध्य उनके कब्जा काश्त की सम्पूर्ण चकों की सम्पूर्ण भूमि कुल 87 बीघा 9 बिस्वा का विधि अनुसार खाता विभाजन भी हो चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री के अवलोकन से भी यह तथ्य बखूबी प्रमाणित है कि रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के कब्जा काश्त में चक 14 एम. एम.के. में कोई भूमि नहीं है। प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04. 2018 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 एम.एम. के. के खाता संख्या-17/10 जमाबंदी सम्वत् 2077-2080 में वर्णित कुल तादादी 4.2760 हैक्टेयर बारानी-1 व नहरी भूमि जो कि वादीगण द्वारा बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीदशुदा भूमि है। उक्त खाता में रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के नाम क्रमशः हिस्सा 76/3207, 76/3207, 76/3207 अर्थात तीनों के नाम कुल हिस्सा 0.304 हैक्टेयर जो कि पूर्ववत् रूप से गलत अंकन चला आ रहा है जिसे वादीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवा अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या-4 में वर्णित चक 14 एम.एम.के. के खाता संख्या 17/10 जमाबंदी सम्वत् 2077-2080 में वर्णित कुल तादादी 4.2760 हैक्टेयर भूमि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा होने तथा उक्त भूमि बैयनामा के दिवस से निरन्तर वादीगण के कब्जा काश्त में होने के कारण वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं तथा इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 37 जो कि रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के वारिसान हैं जिनका प्रश्नगत कृषि भूमि चक 14 एम.एम.के. में कोई हक व हित निहित नहीं है, लेकिन वे जमाबंदी में गलत प्रविष्टि का नाजायज फायदा लेकर प्रश्नगत भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने को कटिबद्ध हैं। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 37 उक्त चक 14 एम.एम.के. के खाता संख्या 17/10 जमाबंदी सम्वत् 2077-2080 में गलत

प्रविष्टि के आधार पर प्रश्नगत भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर रहन, बैय व मुन्तकिल कर देते हैं तथा वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तो वादीगण को अपरिमेय क्षति होगी व भारी असुविधा होगी। इन परिस्थितियों में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 14 एम.एम.के. के खाता संख्या 17/10 जमाबंदी सम्वत् 2077-2080 में वर्णित कुल तादादी 4.2760 हैक्टेयर बारानी-1 व नहरी भूमि में से प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज करवाने तथा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें तथा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने से भी निषिद्ध रहें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

यह कि वादीगण ने गत् सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 37 से निवेदन किया कि वह वाद पत्र की चरण संख्या-4 में वर्णित चक 14 एम.एम.के. की प्रश्नगत भूमि 4.2760 हैक्टेयर बारानी-1 व नहरी जो कि वादीगण के रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीदशुदा भूमि होने के कारण तथा उक्त भूमि में वादीगण के बहिस्सा बराबर की खातेदारी हक व हित होना स्वीकार कर लेंवे तथा उक्त खाता में रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम के नाम चली आ रही गलत प्रविष्टि को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने में सहमति दे देंवे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तो वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या- 38 जो कि भूमि का भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध प्रत्यक्ष कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या-4 में वर्णित चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 17/10 जमाबंदी सम्वत 2077-80 में वर्णित कृषि भूमि 14 एम.एम.के. के पत्थर नम्बर 107/199 (51) किला नम्बर 2/0.0130 बारानी 1, 3/0.2400 बारानी 1, 4/0.253 बारानी 1, 5/0.253 नहरी, 6/0.253 बारानी 1, 7/0.253 बारानी 1, 8/0.164 बारानी 1, 13/0.0890 बारानी 1, 14/0.253 बारानी 1, 15/0.253 बारानी 1, 16/0.253 बारानी 1,17/0.240 बारानी 1, 18/0.0130 बारानी 1, 24/0.152 बारानी 1, 25/0.253 बारानी 1, पत्थर नम्बर 107/200 (52) किला नम्बर 4/0.076 बारानी 1, 5/0.253 बारानी 1, पत्थर नम्बर 108/199 (50) किला नम्बर 10/0.253 बारानी 1. 11/0.253 बारानी 1, 20/0.253 बारानी 1, 21/0.253 बारानी 1 कुल तादादी 4.2760 हैक्टेयर जिसमें (बारानी- । 4.0230 हैक्टेयर व नहरी 0.253 हैक्टेयर) के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त खाता में रामचन्द्र-फूसाराम-सूरजाराम पिसरान रतनाराम के नाम दर्ज हिस्सा क्रमश 76/3207, 76/3207, 76/3207 कुल 0.304 हैक्टेयर दर्ज प्रविष्टि को विलोपित फरमाया जाकर वादीगण के नाम 4.2760 हैक्टेयर जिसमें (बारानी। 4.023 हैक्टेयर व नहरी 0.253 हैक्टेयर) बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

ख) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 37 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वे वाद पत्र की चरण संख्या-4 में वर्णित चक 14 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 17/10 जमाबंदी सम्वत 2077-80 में वर्णित कृषि भूमि 14 एम.एम.के. के पत्थर नम्बर 107/199 (51) किला नम्बर 2/0.0130 बारानी 1, 3/0.2400 बारानी 1, 4/0.253 बारानी 1, 5/0.253 नहरी, 6/0.253 बारानी 1, 7/0.253 बारानी 1, 8/0.164 बारानी 1, 13/0.0890 बारानी 1, 14/0. 253 बारानी 1, 15/0.253 बारानी 1, 16/0.253 बारानी 1,17/0.240 बारानी 1, 18/0.0130 वारानी 1, 24/0.152 बारानी 1, 25/0.253 बारानी 1. पत्थर नम्बर 107/200 (52) किला नम्बर 4/0.076 बारानी 1. 5/0.253 बारानी 1. पत्थर नम्बर

108/199 (50) किला नम्बर 10/0.253 बारानी 1, 11/0.253 बारानी 1, 20/0.253 बारानी 1, 21/0.253 बारानी । कुल तादादी 4.2760 हैक्टेयर (बारानी- । 4.0230 हैक्टेयर व नहरी 0.253 हैक्टेयर) अर्थात 4.2760 हैक्टेयर भूमि को गलत प्रविष्टि के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने तथा प्रश्नगत भूमि को रहन बैय करने से निषिद्ध रहे तथा वादीगण की कब्जाकाश्त में दखलअंदाजी करने से बाज रहे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 37 की तलबी जरिये समाचार पत्र करवाई गई, बार बार आवाज लगाने पर भी हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ से मौका कब्जाकाश्त रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसील पत्रांक भू.अ./2734 दिनांक 25.07.2025 द्वारा मौका कब्जाकाश्त रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें प्रश्तगत कुल खाते 4.276 हैक्टेयर का हवाला देते हुये व दैनिक डायरी की प्रति संलग्न करते हुये संपूर्ण रकबे पर वादीगण की कब्जाकाश्त रिपोर्ट पेश की है। वादी गुरतेज सिंह व गुरचरण सिंह की ओर से अलग अलग शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये गये व दस्तावेज प्रदश करवाये गये। वाद पत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। वादीपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक वाद पत्र डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस वादीपक्ष पर मनन किया गया। प्रदश 5 ए बैयनामा जिसमें मोटनाथ वल्द पूनणनाथ द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रश्नगत आराजी कुल 16 बीघा 18 बिस्वा का बेचान किया गया है। तहसीलदार हनुमानगढ की मौका कब्जाकाश्त द्वारा भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त होना साबित किया गया है। बहस वादीपक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 14 एमएमके खाता सं. 17/10 जमाबंदी संवत 2077-2080 में दर्ज तादादी 4.276 हैक्टेयर के वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खाता दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
हनुमानगढ